FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम (26)

राज अदालत ______ मुकाम ______

गेहरी बनाम हरिकिशन

केस्म मुकदमा 212 RT. ACT नं. 164 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5.4.2018 पीठासीन अधिकारी ... आर. डी. ओ. साहब दौरे पर/ ... कार्य / अवकाश - है। पत्रावली वास्ते ... दि. 18.7.18 को पेश हो ... की आज्ञा से	
15.5.18	पत्रावली स्थानान्तरण अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सुरपुर मे प्रस्तुत हुई। वकील वादी हाजिर। बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 सहखातेदार है तथा बटवारा होने तक संयुक्त खातेदारी आराजियात मे अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया की गई बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष मे नही बनता है क्योंकि सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर उपभोग, उपयोग से वंचित नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैम्प ... मूल ... के क्रम मे ...	SK Bana [signature]

उपखण्ड अधिकारी ...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner